

- ✓ जनपदीय एस0ओ0जी0 शाहजहाँपुर, सर्विलांस सेल शाहजहाँपुर व थाना जालालाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में ई-रिक्शा में महिलाओं के बैग/पर्स से जेवरात चोरी करने वाली अन्तरजनपदीय गैंग के 07 शातिर अभियुक्त/अभियुक्ताओं को चोरी के माल, अवैध चाकू, मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल सहित किया गया गिरफ्तार।
- ✓ जनपद में ई-रिक्शा यात्रियों से जेवरात चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा, अन्तरजनपदीय गैंग के 07 सदस्य मय चोरी के माल, अवैध चाकू एवं मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहाँपुर, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा चिन्हित अपराधियों/वांछित/वारण्टी /अभियुक्तों एवं मादक पदार्थ अवैध शराब एवं अवैध शस्त्रों की बिक्री व निर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी जालालाबाद के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जालालाबाद के नेतृत्व में थाना जालालाबाद पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 24.03.2026 को थाना स्थानीय पर वादिनी मुकदमा श्रीमती काजल पुत्री विजेन्द्र नि० ग्राम-चिकटिया पहाड़पुर थाना-कलान जिला-शाहजहाँपुर द्वारा बारह पत्थर चौराहा जालालाबाद से ई-रिक्शा पर बैठकर ससुराल जाते समय वादिनी के बैग में रखे 10 ग्राम सोने के झाले, 6 ग्राम दो सोने की अंगूठी, 250 ग्राम बिछुआ चांदी की, 2 जोड़ी पायल चांदी की व बच्चे की एक जोड़ी कंगन चांदी के तथा 2 हजार रुपये नगद अज्ञात महिला जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मु०अ०स० 160/2026 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात महिला के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना उ०नि० श्री मोहित कुमार के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

दिनांक 29.04.2026 को श्री पिन्टू पुत्र दयाराम नि० ग्राम डुही जदीद थाना जालालाबाद जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी व वादी पत्नी ई-रिक्शा बैठ कर जाते समय गुनारा मोड से बैठी अज्ञात महिला द्वारा वादी की पत्नी के पर्स में रखे एक कमर विछुवा चांदी का, एक अंगूठी चांदी की, एक माँग टीका व एक अंगूठी सोने की चोरी कर लेने के सम्बन्ध मु०अ०स० 168/2026 धारा 303(2) वीएनएस पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना उ०नि० श्री यशपाल सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उपरोक्त चोरी की दोनों घटनाओं के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगणों के आदेश व निर्देशों के क्रम में जनपदीय एस०ओ०जी०, सर्विलांस सेल व थाना जालालाबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना

पर दिनांक 01.05.2026 को समय करीब 19.00 बजे डकैती की योजना बनाते हुए 04 नफर अभियुक्त व 03 नफर अभियुक्त 1. लक्ष्मी पत्नी गौतम निवासी दियुरिया थाना पुवाया जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 32 वर्ष 2. नीतू पत्नी हाकिम सिंह उम्र करीब 48 वर्ष निवासी दियुरिया थाना पुवाया जनपद शाहजहांपुर 3. मुस्कान पत्नी अनिल निवासी दियुरिया थाना पुवाया जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 32 वर्ष 4. पुष्पा पत्नी बादल निवासी दियुरिया थाना पुवाया जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 21 वर्ष व 03 नफर अभियुक्तगण 5. गौतम पुत्र जागन निवासी ग्राम दियुरिया कालोनी थाना पुवाया जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 36 वर्ष 6. बादल पुत्र हाकिम सिंह निवासी ग्राम दियुरिया थाना पुवाया जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 23 वर्ष ,7. आकाश पुत्र करुआ निवासी सरानी थाना अवागढ जिला एटा उम्र करीब 19 वर्ष को बहद ग्राम बझेडा के बन्द पडे भट्टे के पास बने तीन शैड के नीचे से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ माल जिनमें 01 अदद अंगूठी पुरुष पीली धातु , 02 कमर बिछुवा सफेद धातु , 02 जोड़ी पायल सफेद धातु , 01 जोड़ी बच्चे के हाथ कडे सफेद धातु , 01 अंगूठी महिला सफेद धातु , 01 माँग टीका पीली धातु , 01 अंगूठी महिला पीली धातु , 01 जोड़ी लटकन (झाले) पीली धातु , 01 मंगलसूत्र पीली धातु , 01 ओम पैन्डल पीली धातु व 04 अदद मोबाइल , 02 अदद चाकू लोहा नाजायज) व सीज शुदा 01 अदद मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे बरामद की गयी। पूछताछ एवं बरामदगी के आधार पर उक्त माल उपरोक्त पंजीकृत अभियोगों से संबंधित पाया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-174/2026 धारा 312/313 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण/अभियुक्ताओं के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. लक्ष्मी पत्नी गौतम, निवासी दियुरिया, थाना पुवाया, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 32 वर्ष।
2. नीतू पत्नी हाकिम सिंह, निवासी दियुरिया, थाना पुवाया, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 48 वर्ष।
3. मुस्कान पत्नी अनिल, निवासी दियुरिया, थाना पुवाया, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 32 वर्ष।
4. पुष्पा पत्नी बादल, निवासी दियुरिया, थाना पुवाया, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 21 वर्ष।
5. गौतम पुत्र जागन, निवासी ग्राम दियुरिया कॉलोनी, थाना पुवाया, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 36 वर्ष।
6. बादल पुत्र हाकिम सिंह, निवासी ग्राम दियुरिया, थाना पुवाया, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 23 वर्ष।
7. आकाश पुत्र करुआ, निवासी सरानी, थाना अवागढ, जनपद एटा, उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 174/26 धारा 312/313 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

लक्ष्मी पत्नी गौतम निवासी दियुरिया थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 32 वर्ष

1. मु0अ0सं0-174/2026, धारा 312/313 बीएनएस, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0-160/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0-168/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0-289/2025, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना पाली, जनपद हरदोई।
5. मु0अ0सं0-359/2025, धारा 317(2) बीएनएस, थाना पाली, जनपद हरदोई।

नीतू पत्नी हाकिम सिंह निवासी दियुरिया थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 48 वर्ष

1. मु0अ0सं0-174/2026, धारा 312/313 बीएनएस, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0-168/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0-425/2022, धारा 379/411 भादवि, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।

मुस्कान पत्नी अनिल निवासी दियुरिया थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 32 वर्ष

1. मु0अ0सं0-174/2026, धारा 312/313 बीएनएस, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।

2. मु0अ0सं0-101/2026, धारा 316(2) बीएनएस, थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर।

पुष्पा पत्नी बादल निवासी दियुरिया थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 21 वर्ष

1. मु0अ0सं0-174/2026, धारा 312/313 बीएनएस, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0-101/2026, धारा 316(2) बीएनएस, थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर।

गौतम पुत्र जागन निवासी ग्राम दियुरिया कालोनी थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 36 वर्ष

1. मु0अ0सं0-174/2026, धारा 312/313 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0-160/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0-839/2016, धारा 323/427/452/504/506 भादवि, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0-267/2017, धारा 323/325/336/452/504/506 भादवि, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर।

बादल पुत्र हाकिम सिंह निवासी ग्राम दियुरिया थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 23 वर्ष

1. मु0अ0सं0-174/2026, धारा 312/313 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0-160/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0-267/2017, धारा 147/323/325/336/452/504/506 भादवि, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर।

आकाश पुत्र करुआ निवासी सरानी थाना अवागढ जिला एटा उम्र करीब 19 वर्ष

1. मु0अ0सं0-174/2026, धारा 312/313 बीएनएस, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0-168/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार किए जाने का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 01.05.2026 को समय करीब 19.00 बजे, बहद ग्राम बड़ेडा के बन्द पडे भट्टे के पास बने टीन शैड के नीचे वाफासला करीब 05 किमी दिशा

तस्करा पूछताछ अभियुक्तगण:-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण/अभियुक्ताओं 1. लक्ष्मी, 2. नीतू, 3. मुस्कान, 4. पुष्पा, 5. गौतम, 6. बादल एवं 7. आकाश से महिला आरक्षीगण की उपस्थिति में नियमानुसार पूछताछ की गयी तो सभी ने एक स्वर में बताया कि वे लोग संगठित रूप से अलग-अलग स्थानों पर ई-रिक्शा, टैम्पू एवं अन्य सार्वजनिक वाहनों में यात्रा कर रही महिलाओं एवं यात्रियों को चिन्हित कर मौका पाकर उनके बैग/पर्स में रखे सोने-चाँदी के जेवरात, नगदी व अन्य कीमती सामान चोरी कर लेते हैं तथा विरोध करने पर डरा-धमकाकर अथवा चाकू दिखाकर सामान छीनकर फरार हो जाते हैं। अभियुक्तगण/अभियुक्ताओं द्वारा बताया गया कि दिनांक गिरफ्तारी को भी वे सभी एकत्र होकर चोरी/लूट/डकैती की योजना बना रहे थे कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्ता लक्ष्मी, अभियुक्त बादल एवं गौतम द्वारा बताया गया कि करीब 40-45 दिन पूर्व बारह पत्थर से धियरिया गाँव जाने वाले मार्ग पर ई-रिक्शा में बैठी एक महिला के बैग/पर्स से जेवरात चोरी किये थे तथा घटना के उपरांत पीछे चल रही मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गये थे। अभियुक्ता लक्ष्मी, नीतू एवं अभियुक्त आकाश द्वारा बताया गया कि करीब 03 दिन पूर्व जलालाबाद क्षेत्र में मंदिर के पास गुनारा मोड़ से आगे ई-रिक्शा में यात्रा कर रहे महिला-पुरुष का पर्स चोरी किया था। अभियुक्ता मुस्कान एवं पुष्पा द्वारा बताया गया कि करीब 08-10 दिन पूर्व कस्बा खुटार में एक महिला, जो अपने बच्चे के साथ ई-रिक्शा में जा रही थी, उसके बच्चे के रोने पर उत्पन्न अवसर का लाभ उठाकर उसके पर्स में रखे सोने के जेवरात चोरी किये थे। अभियुक्तगण/अभियुक्ताओं ने यह भी बताया कि उनके पास आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं है तथा वे इसी प्रकार चोरी/लूट की घटनाएँ कर अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। अभियुक्तगण/अभियुक्ताओं के कब्जे से बरामद कानों के लटकन (झाले), ओम पेंडल, मंगलसूत्र व अन्य जेवरात के संबंध में बताया गया कि उक्त माल उनके द्वारा विभिन्न स्थानों से चोरी किये गये माल का हिस्सा है।

बरामदगी का विवरण-

- ✓ 01 अदद पुरुष अंगूठी (पीली धातु)।

- ✓ 02 अदद कमर बिछुवा (सफेद धातु) ।
- ✓ 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु) ।
- ✓ 01 जोड़ी बच्चे के हाथ के कड़े (सफेद धातु) ।
- ✓ 01 अदद महिला अंगूठी (सफेद धातु) ।
- ✓ 01 अदद मांगटीका (पीली धातु) ।
- ✓ 01 अदद महिला अंगूठी (पीली धातु) ।
- ✓ 01 जोड़ी लटकन (झाले) (पीली धातु) ।
- ✓ 01 अदद मंगलसूत्र (पीली धातु) ।
- ✓ 01 अदद ओम पेंडल (पीली धातु) ।
- ✓ 04 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद नाजायज लोहे के चाकू (सीजशुदा) ।
- ✓ 01 अदद मोटरसाइकिल TVS Apache (सीजशुदा) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुरा
2. प्रभारी उ0नि0 श्री मनोज कुमार, एस0ओ0जी0/सर्विलांस सेल मय टीम।
3. उ0नि0 श्री यशपाल सिंह, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुरा
4. उ0नि0 श्री मोहित कुमार, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुरा
5. म0उ0नि0 सुश्री काजल, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुरा
6. हे0का0 273 दिनेश, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुरा
7. का0 2792 अतुल शाक्य, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुरा
8. का0 2832 सूरज कुमार, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुरा
9. म0का0 2935 शिखा कावरा, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुरा
10. म0का0 2854 पुष्प गौतम, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुरा